

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत¹
आवास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (4)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (6)	द्वितीय अपील पदनाम (7)
17.1	अंगीकृत विकास योजनाओं में भूमि उपयोग की जानकारी	जिला कार्यालय प्रमुख, नगर तथा ग्राम निवेश	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	10 कार्य दिवस	संभागायुक्त	
17.2	अंगीकृत विकास योजनाओं में रोड की प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी	जिला कार्यालय प्रमुख, नगर तथा ग्राम निवेश	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	10 कार्य दिवस	संभागायुक्त	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.3	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत लघु श्रेणी के उद्योगों को सम्मति	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	120 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
17.4	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत वृहद्/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सम्मति	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	120 कार्य दिवस	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	30 कार्य दिवस	सचिव, आवास एवं पर्यावरण
17.5	प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकलिप्त अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निजी भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी	प्रभारी अधिकारी, वास्तुविद् शाखा	20 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
17.6	प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकलिप्त अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में सम्मिलित भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा विकास करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति/आपत्ति प्रदाय करना	प्रभारी अधिकारी वास्तुविद् शाखा	20 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैंस,
प्रमुख सचिव